तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो बाद हुक्म की तामील में जारी हुए
4/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 12/03/26 को पेश हो।	
12/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 16/03/26 को पेश हो।	
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा है। एक अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/3/26 को पेश होवे।	
18/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 24/3/26 को पेश हो।	
24/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 02/04/26 को पेश हो।	
2/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 8/4/26 को पेश हो।	
8/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उप० अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।	

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 06/2025

1. जियालाल
2. फतेह सिंह
3. बाबू सिंह पुत्रान रामस्वरूप जाति जाट निवासी पीपरी तहसील बयाना।
4. दशरथ
5. बहादुरसिंह
6. मिठ्ठन
7. बच्चूसिंह पुत्रान सोहनलाल जाति नाई निवासी पीपरी तहसील बयाना।
8. सुरेश पुत्र यदवीर जाति जाट निवासी पीपरी तहसील बयाना।
9. कमलेश पत्नि नेत्रपाल जाति जाट निवासी नगला तेरहिया तहसील उच्चैन।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन भरतपुर राज0।

.....असल अप्रार्थी

2. अनीता
3. गोरन्ती पुत्री यदवीर जाति जाट निवासी पीपरी तह0 बयाना।
4. मछला पत्नि यदवीर जाति जाट निवासी पीपरी तह0 बयाना।
5. घमन्डी पुत्र रामस्वरूप
6. जलदेई पुत्री रामस्वरूप
7. पुष्पा पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी पीपरी तह0 बयाना।
8. भूपसिंह पुत्र सोहनलाल
9. सानो पत्नि सोहनलाल जाति नाई निवासी पीपरी तह0 बयाना।
10. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी पीपरी तह0 बयाना।

.....फोरमल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 128,129 एल.आर.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—08.04.2026**

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 एल.आर.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1806,1807 बाकै ग्राम पना तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है जिसके प्रार्थीगण एवं फोरमल अप्रार्थीगण सम्पूर्ण के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी की पैमाइश हेतु तहसीलदार उच्चैन को माह मई में प्रार्थना पत्र पेश किया था लेकिन अभी तक विधी सम्मत कभी पैमाइश

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

नहीं हो सकी है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त आराजी की सीमाबन्दी नहीं कर पा रहा है। प्रार्थना पत्र पेश कर आराजी खसरा नम्बर 1806,1807 बांके ग्राम पना तहसील उच्चैन की चारों दिशाओं का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 10 बावजूद रजिस्टर तामील हाजिर नहीं आये जिसके कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यबाही अमल में लायी गई। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा दिनांक 03.07.2025 को जबाव पेश किया जो शामिल मिसल है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये विवादित आराजी का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार उच्चैन के समक्ष सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसकी पालना में हल्का पटवारी के द्वारा विवादित जायदाद की दिनांक 30.05.2025 को पैमाइश की गई थी। प्रार्थी द्वारा मौका पर्चा ग्राम पना की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की है। जो कि पत्रावली के साथ संलग्न है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेशित किया जाता हैं कि वह विवादित जायदाद आराजी खसरा नम्बर 1806,1807 बांके ग्राम पना तहसील उच्चैन में यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदि ना हो एवं उक्त आराजी पर कब्जे संबंधी विवाद आदि नहीं हो तो उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थीगण के खर्चे पर पत्थरगढी करावें। इस बावत् अप्रार्थी लैण्ड हौल्डर तहसीलदार उच्चैन को कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर